# अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई**

**जज इजलास– रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई**

**उनवान– लालाराम बनाम हरफूल**

**दावा बाबत– स्थायी निषेधाज्ञा**

**प्रकरण सं.– 02/2024**

आदेश है कि वाद वादी दावा स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है। ग्राम बाढबगीची के खाता संख्या नया 30 पुराना 28 के खसरा नं0 677/175 रकबा 0.6 हैक्टयर में न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई के आदेश दिनांक 27.07.2023 उनवानी प्रकरण लालाराम बनाम चेतराम वगै0 में वादी के हिस्से में आयी भूमि खसरा नम्बर 677/175/2 रकबा 0.0120 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के हिस्से पर किसी भी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण न करे एवं वादी को बेदखल न करे।

निज..............................मुबलिग..........................................................बाबत.........................................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 11 सन् 2024 को जारी की गई।

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उप जिला कलक्टर
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

| मद | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान | निल | निल | स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान | निल | निल |

दस्तखत..........................

मोहर..........................

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

# यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा।

मु.न. 02/2024
दायर दिनांकः– 01.01.2024
निर्णय दिनांक 29.11.2024

उनवान

1. लालाराम उम्र पुत्र श्री पन्नालाल जाति माली निवासी आसन घाटडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर, राजस्थान।

:–वादी

बनाम

1. हरफूल पुत्र गुरुसहाय
2. जगदीश पुत्र गुरूसहाय
3. चेतप्रकाश पुत्र नन्दाराम
4. रोहिताश पुत्र नन्दाराम
5. धप्पोदेवी पत्नि नन्दाराम
6. सोना बेवा रामकुंवार
7 किलाण पुत्र रामकुंवार
8. कालू पुत्र रामकुंवार
9. टूण्डाराम पुत्र रामकुंवार
10. राकेश पुत्र रामकुंवार
11. रामकेश पुत्र रामकुंवार
12. भूरया पुत्र रामकुंवार

समस्त जाति माली निवासी आसन घाटडा तहसील राजगढ।

13. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बांदीकुई।
14. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक महोदय बांदीकुई।

:–प्रतिवादीगण

(दावा स्थाई निषेधाज्ञा)

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में जरिये वकील द्वारा पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः– भूमि खसरा नम्बर 677ध175 रकबा 0.06 हैक्टेयर बारानी प्रथम वार्षिक लगानी 0.72 रूपये वाके ग्राम बाढ बगीची बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है जिसकी नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 वादपत्र के साथ संलग्न है। भूमि मुतदाविया का वादी 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 1/10 के तथा प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 हिस्से 1/5 दर हिस्सा 1/15 के तथा प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 12 हिस्सा 1/5 व दर हिस्सा 1/35 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। जिस पर वे अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर बाहमी राजीनामें से काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि बाबत एक वाद तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 69/2019 उनवानी लालाराम बनाम चेतप्रकाश वगैराह निर्णय दिनांक 27/07/2023 के जरिये अन्तिम डिक्री हो चुकी है। लेकिन अभी तक उक्त अन्तिम डिक्री की पालना होकर रेवेन्यु रिकॉर्ड में जमाबन्दी व नक्शा ट्रैस में इन्द्राज नहीं हुये है। उक्त मुकदमें में न्यायालय हाजा द्वारा मात्र तकास्मा की ही अन्तिम डिकी पारित की है स्थाई निषेधाज्ञा बाबत किसी प्रकार का कोई निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा पारित नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण 01 लगायत 12 तकास्में की अन्तिम डिक्री होने के बावजूद भी वादी के 1/5 हिस्सा जिस पर की वो शुरू से ही बाहमी राजीनामें से काबिज है तथा अब न्यायालय द्वारा पारित तकास्में की अन्तिम डिक्री से भी अपने हिस्से पर काबिज काश्त है

Scanned with OKEN Scanner

र जबरन बल प्रयोग कर वादी को बेदखल करने पर आमादा है गत दिनांक 27/12/2023 प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 12 द्वारा मौके पर जे.सी.बी मशीन व टैक्ट्रर ट्रोली व काफी संख्या में मजदूरों को लाकर मिट्टी डलवाकर भरत करवाया जा रहा है वादी के मना करने के बावजूद भी वे नहीं मान रहे है तथा शिघ्र ही भरत करवाकर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है मौके पर काफी संख्या में मजदूर व मशीनों के जरिये अतिशीघ्र भूमि मुतदाविया पर वादी को बेदखल कर उसके हिस्से पर भी बावजूद डिकी निर्माण करने पर आमादा हो रहे है। यदि प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 12 अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी कदर सम्भव नहीं हो सकेगी तथा मौके पर संगीन झगडा फिसाद होकर मिनख मराई होगी एंव गैर जरूरी किस्म के मुकदमे बाजी चल पडेगी जो बाय से बर्बादी वादी होगी। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 12 को कोई विधिक अधिकार तकास्में की डिक्री होने के बाद वादी के हिस्से की भूमि पर किसी भी प्रकार का पुख्ता, खाम निर्माण कार्य करने एंव उसे बेदखल करने का नहीं है। वादी को भूमि मुतदाविया में बतौर खातेदार भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा–पूरा विधिक अधिकार प्राप्त है। वादी न्यायालय हाजा से अपने विधिक अधिकार में प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे खलल को रूकवाने के लिये इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। कि प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 12 भूमि मुतदाविया कि अन्तिम तकास्में की डिक्री पारित होने के बाद वे वादी के हिस्से में पुख्ता खाम निर्माण कार्य करने से, वादी के उपयोग उपभोग में बाधा खडी करने से एंव वादी को भूमि मुतदाविया में प्राप्त विधिक अधिकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अवैध कार्य करने से सदैव के लिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित रहें। दावे के साथ पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्राथमिक व अन्तिम डिक्री व निर्णय नकल संलग्न है। वाद कारण दिनांक 27/12/2023 को प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 12 द्वारा भूमि मुतदाविया में भरत करवाने एंव शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू करने से पैदा होकर अन्दर मियाद वादपत्र पेश है। प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 12 के पति व पिता रामकुंवार की मृत्यु होने के कारण वैध वारिसान होने से उन्हें वादपत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 13 व 14 राजस्थान सरकार के नुमाईंदे है जिन्हें पक्षकार बनाये जाने से पूर्व दफा 80 जा.दी. का नोटिस दिये जाने के आदेशात्मक प्रावधान है किन्तु दावा अर्जेन्ट नेचर का होने से उन्हें नोटिस दिये बगैर ही दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। बिना नोटिस दिये वादपत्र प्रस्तुत करने की इजाजत दिये जाने बाबत दफा 80 (2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र जुदागाना प्रस्तुत है। भूमि मुतदाविया न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से न्यायालय हाजा को वादपत्र की सुनवाई का पूरा – पूरा अधिकार प्राप्त है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 12 प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिक्री पारित फरमाया जावे– भूमि मुतदाविया जिसकी तकास्मे की डिक्री पारित हो चुकी है लेकिन अभी तक उसकी पालना राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 12 वादी के हिस्से पर किसी भी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण करने से वादी को बेदखल करने से उसके उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से बाधा खडी करने से व रहन बय करने से व वादी को भूमि मुतदाविया में प्राप्त विधिक अधिकारों के विरूद्ध कोई भी अवैध कार्य करने के लिये सदैव के लिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित रहें। भूमि मुतदाविया जिसमें तकास्में की अन्तिम डिक्री न्यायालय हाजा द्वारा पारित कर दी गई है वादी के हिस्से में पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें । खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 से दिलवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण करवायी गई। प्रतिवादीगण तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की गई। बावजूद तलबी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली को साक्ष्य वादी पर नियत किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र स्वयं का पेश किया गया। वादी से प्रदर्श डलवाये

Scanned with OKEN Scanner

गये। वादी द्वारा और साक्ष्य पेश नहीं करने पर वादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस पर नियत की गई। प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरा वादी अधिवक्ता ने दावे को दोहराते हुए तर्क किया कि भूमि मुतदाविया जिसकी तकास्मे की डिक्री पारित हो चुकी है लेकिन अभी तक उसकी पालना राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 12 वादी के हिस्से पर किसी भी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण करने से वादी को बेदखल करने से उसके उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से बाधा खडी करने से व रहन बय करने से व वादी को भूमि मुतदाविया में प्राप्त विधिक अधिकारों के विरूद्ध कोई भी अवैध कार्य करने के लिये सदैव के लिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित रहें। भूमि मुतदाविया जिसमें तकास्में की अन्तिम डिक्री न्यायालय हाजा द्वारा पारित कर दी गई है वादी के हिस्से में पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें । खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 से दिलवाया जावे।

न्यायालय द्वारा वादी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली में पेश दस्तावेजात प्रदर्श 1 जमाबंदी ग्राम बाढ बगीची के खाता संख्या नया 30 पुराना 28 सम्वत् 2076–2079 में वादी लालाराम पुत्र पन्नालाल 1/5 का खातेदार है एवं सहायक कलक्टर बांदीकुई के निर्णय दिनांक 27.07.2023 में वादग्रस्त भूमि का तकास्मा किया जा चुका है जिसमें वादी लालाराम पुत्र पन्नालाल के हिस्से में खसरा नम्बर 677/175/2 रकबा 0.0120 आया है। उक्त निर्णय के आधार पर खसरा नम्बर 677/175 में वादी का हिस्सा कायम हो चुका है। वादी के हिस्से में आयी भूमि खसरा नम्बर 677/175/2 रकबा 0.0120 में प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं होना प्रतीत होता है। वादी के हिस्से में आयी भूमि खसरा नम्बर 677/175/2 रकबा 0.0120 में वादी प्रतिवादीगण को दखल देने से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वाद वादी दावा स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है। ग्राम बाढबगीची के खाता संख्या नया 30 पुराना 28 के खसरा नं0 677/175 रकबा 0.6 हैक्टयर में न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई के आदेश दिनांक 27.07.2023 उनवानी प्रकरण लालाराम बनाम चेतराम वगै0 में वादी के हिस्से में आयी भूमि खसरा नम्बर 677/175/2 रकबा 0.0120 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के हिस्से पर किसी भी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण न करे एवं वादी को बेदखल न करे। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण फैसलशुमार हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय मे निर्णय सुनाया गया।

29/11/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

लालाराम / हरफूल वगैरह

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 02/2024 दस्थाई निषेधाज्ञा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 23/10/24<br>पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 25/10/24 को पेश हो।<br>हस्ताक्षर रीडर | |
| 25/10/24 | पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 30/10/24 को पेश हो।<br>हस्ताक्षर रीडर | |
| 4/11/24 | दि० 30/10/24 का राजकीय अवकाश होने से<br>पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 8/11/24 को पेश हो।<br>हस्ताक्षर रीडर | |
| | 8/11/24<br>पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 13/11/24 को पेश हो।<br>हस्ताक्षर रीडर | |
| | 13/11/24<br>पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 29/11/24 को पेश हो।<br>हस्ताक्षर रीडर | |
| 29/11/24 | पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। वादी वकील बहस सुनी गयी। वादी वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी वाद स्वीकार किया जाता | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद दावा स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अंतिम डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। |
| | (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई |